(53)

43

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक प.45/पीएण्डएम-II/परिपत्र/04/डी-2549 जयपुर, दिनांक: 31-3-2004

1. समस्त जिला कलेक्टर ।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद ।

विषय: जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा निर्माण करायी जाने वाली सड़कों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक आबादी को डामरीकृत सड़कों से जोड़ने का कार्य शत-प्रतिशत भारत सरकार की सहायता से कराया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत उन आबादियों को नीचे की प्राथमिकता में रखा हुआ है जहां डब्ल्यू.बी.एम. स्तर की सड़कें निर्मित हैं ।

तकनीकी अधिकारियों का मन्तव्य है कि डब्ल्यू.बी.एम. स्तर की सड़कों की यातायात की दृष्टि से उपयोगिता नहीं होती हैं क्योंकि अल्पावधि में ही इनसे कठिनाई पैदा होने लगती है । डब्ल्यू.बी.एम. स्तर की सड़कें तभी बनाई जानी चाहिये जब इस बात का पूरा संतोष हो जाये कि तत्काल बाद ही उस पर डामरीकरण का कार्य हो जायेगा।

प्रायः यह देखने में आया है कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा डामरीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित किये बिना ही डब्ल्यू.बी.एम. स्तर की सड़कों की स्वीकृति जारी कर दी जाती है । इससे जहां एक तरफ आवागमन की दृष्टि से उपयोगिता विकसित नहीं हो पाती है वहीं दूसरी तरफ ऐसी आबादियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत समुचित सम्पर्क सड़क उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता नीचे चली जाती है ।

यह उल्लेखनीय है कि तात्कालिक आवश्यकता के अत्यावश्यक प्रकरणों में अपेक्षाकृत कम लागत से ग्रेवल स्तर तक की सड़कें बनायी जाना समीचीन होगा । इससे जहां एक तरफ कम व्यय से ही आवागमन सुविधा विकसित हो जायेगी वहीं ग्रेवल सड़कों की प्राथमिकता डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों से ऊपर होने का लाभ भी उपलब्ध होगा ।

अतः राजकीय संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग तथा ग्रामीण आबादियों को सम्पर्क सड़कों की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह अपेक्षित है कि आबादियों के लिये सम्पर्क सड़कें निर्मित करने हेतु ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं से राशि व्यय करते समय उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखा जावे । उल्लेखनीय है कि उपरोक्त स्थिति को देखते हुए डब्ल्यू.बी.एम. स्तर की सड़क पर बिना डामरीकरण की व्यवस्था के यदि कोई व्यय किया जाता है तो ऐसा व्यय राजकीय संसाधनों के अपव्यय की श्रेणी में रहेगा ।

26/3/04

(वी.एस.सिंह)
शासन सचिव

प्रतिलिपि:
(i) अति० मुख्य अभियन्ता सा० नि० वि० जयपुर —— जयपुर
(ii) अतिरिक्त अभियन्ता सा० नि० वि० .... —— जयपुर
(iii) अधिशाषी अभियन्ता सा० नि० वि० .... —— जयपुर

N.D.

29/3/04
अति० मुख्य अभियन्ता (सड़क)

57
8/4/04

(3)
8/4/04
No. 07
copy to EE PMU I/II/III for information & n/a
7/4

(I.T.R.)

6/4/04